FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

1. **District (जिला):** JAIPUR RURAL **P.S. (थाना):** PHULERA(JAIPUR RURAL) **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0074 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 02/04/2026 16:38 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	316(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/01/2023 **Date To (दिनांक तक):** 06/03/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 02/04/2026 **Time (समय):** 16:16 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 025 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 02/04/2026 16:16:00 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** उत्तर, 0.25 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** फुलेरा सी

(b) **Address(पता):** PHULERA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

Scanned with OKEN Scanner

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): MEWARAM CHOUDHARY

(b) Father's Name (पिता का नाम): LADURAM CHOUDHARY

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1971 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BEED KI DHANI, SARDULPURA PHULERA , PHULERA(JAIPUR RURAL), JAIPUR RURAL, RAJASTHAN,
2	स्थायी पता	BEED KI DHANI, SARDULPURA PHULERA, PHULERA(JAIPUR RURAL), JAIPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): 91-9875263095

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	अज्ञात1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

Scanned with OKEN Scanner

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभर लेक, जिला जयपुर फौजदारी परिवाद संख्या /2026 1 मेवा राम चौधरी पुत्र श्री लादूराम चौधरी निवासी बीड की ढाणी, शार्दुलपुरा, फुलेरा, जिला जयपुर 2. रामचन्द्र सैनी पुत्र श्री चौथूराम सैनी उम्र वर्ष, निवासी अन्नू विहार कॉलोनी, फुलेरा, जिला जयपुर। 3. ओमप्रकाश कुमावत पुत्र श्री रामअवतार कुमावत निवासी 16 बासनी वाली ढाणी, काचरोदा फुलेरा, जिला जयपुर, 4. मुकुल कुमावत पुत्र श्री दुलीचन्द कुमावत निवासी ईरोलाव, तेजा का बास फुलेरा, जिला जयपुर, 5. कैलाश चौधरी पुत्र श्री प्रेमचन्द चौधरी निवासी भोपाबाबा की ढाणी, सामलपुरा, फुलेरा, जिला जयपुर राजस्थान, 6. दौलत पुत्र श्री मोहन लाल निवासी डूडियों की ढाणी, शार्दुलपुरा, फुलेरा, जिला जयपुर परिवादीगण बनाम 1. सुरेन्द्र बरबर पुत्र श्री संतलाल उम्र व्यस्क निवासी सूजडौला, तहसील पीलानी वाया चिडावा, जिला झुन्झुनू (राज.) मो.न. 9530006300 2. एलन चौधरी उर्फ एलन उर्फ मेचु उर्फ इलेना पुत्र श्री रणवीर सिंह निवासी सुरजगढ, कुठोल कलां, जिला झुन्झुंनू (राज.) मो.न. 7222061000 3. संदीप सिंगर पुत्र श्री भागीरथमल निवासी बरवासी तहसील नवलगढ, जयसिंहपुरा, जिला झुन्झुनू (राज.) मो.नं. 9799107600 4. रजत शर्मा पुत्र उर्फ राजेश कुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार उम्र 46 वर्ष निवासी 129, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर मो.न. 7568811177 5. रमन चौधरी रमन मेचु पुत्र श्री रणवीर सिंह निवासी सुरजगढ, कुठोल कला जिला झुन्झुनू (राज.) मो.न. 9882835911 6. विजय मौर्य पुत्र श्री भानाराम मौर्य उम्र 32 वर्ष, निवासी रैगर मौहल्ला, वार्ड नम्बर 4, झुन्झुनू (राज.) मो.न. 9887646647 7. ईश्वर वर्मा पुत्र श्री सांवर मल वर्मा उम्र 28 वर्ष, निवासी श्रीमालू का मौहल्ला वार्ड नम्बर 35, झुन्झुनू (राज.) मो.न. 9529310840 8. सुरेन्द्र सैनी पुत्र श्री हजारी लाल उम्र 28 वर्ष, निवासी बसेरी गोदा गुरूजी, बसेरी जिला झुन्झुनू (राज.)। अभियुक्तगण परिवाद अन्तर्गत धारा 210 बी.एन.एस.एस. अपराध अन्तर्गत धारा 61 (2), 112(2), 316(2), 318 (4) बी. एन.एस. एवं अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 की धारा 3, 5, 21, 23 व इनामी चिट फण्ड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी अधिनियम 1978) धारा 3 व 4 पुलिस थाना फुलेरा, जिला जयपुर ग्रामीण श्रीमान जी, परिवादीगण की ओर से परिवाद निम्न प्रकार पेश है- 1. यह कि परिवादीगण परिवाद पत्र में दर्ज शीर्षक पते पर बहैसियत निवास करते आ रहे है तथा अपना अपना कार्य शांतिपूर्वक करते चले आ रहे है। 2. यह कि अभियुक्त संख्या 1 सुरेन्द्र बरबर जो की सुजडोला का पूर्व सरपंच रहा है और अक्सर फुलेरा आया जाया करता था, अभियुक्त संख्या 1 नें सर्वप्रथम परिवादीगण को फोरेक्स, क्रिप्टो में ट्रेड कर अच्छी कमाई करने के बारे में बताया और कहा कि शेयर मार्केट में एक रशीयन कम्पनी है जो 2016 से कार्य कर रही है, जो वर्तमान में बहुत अच्छा कार्य करते हुए प्रतिमाह 8 से 12 प्रतिशत तक प्रोफिट दे रही है, जो सीधे आपकी कम्पनी के वेलट में आयेगा कम्पनी का नाम X ENO PORTFOLIO LTD (XPO.RU) है और कम्पनी के निवेश प्लेटफार्म के बारे में बताया और अपना कम्पनी का वॉलेट खोलकर करोडो का प्रोफिट बताते हुए करोडो रूपयें कमाने का लालच देकर निवेश करने के लिए प्रेरित किया। 3. यह कि अभियुक्त संख्या 1 सुरेन्द्र बरबर ने जनवरी 2023 में सर्वप्रथम क्रिप्टो/फोरेक्स/इंडेक्स ट्रेडिंग के नाम पर फुलेरा में एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें अभियुक्त संख्या 1 स्वयं उपस्थित रहा एंव अन्य अभियुक्त संख्या 2 ता 8 को ऑन लाईन माध्यम से सेमिनार में जोडा और उस सेमिनार में (XPO.RU) के बोर में बताते हुए 8 से 12 प्रतिशत प्रतिमाह लाभ का लालच दिया और कहा कि हम लोग जो कार्य करते है यह रशीयन कम्पनी है और हमारा रूसी संघ के साथ कॉन्टेक्ट है इसलिए हमारा सारा कार्य डालर में होता है ऑप लोगो जो भी निवेश करेगे तो हम आप की (XPO.RU) पर वॉलेट बनाकर आप द्वारा जो पैसा दिया जावेगा उस पैसे के बदले आप के वॉलैट पर डॉलर ट्रासफर कर देगे। जिससे आप कम्पनी की जिस भी स्कीम में लगायेगे उसमें आसानी से लग जावेगा और आपको प्रोफिट होना शुरू हो जावेगा और अभियुक्त संख्या 1 ने कहा कि जो भी ऑन लाईन मिटिंग ले रहे है ये सभी इस कम्पनी में बड़े शेयर होल्डर है और जब यह कम्पनी शुरू हुई तब से कम्पनी के साथ जुडे हुए है, सभी करोडो रूपये महिना कमा रहे है और हम सभी लोगो ने विदेश दुबई में आलिशान विला भी खरीद रखे है, जिनमें हम छुट्टीया बिताने जाते रहते है। 4. यह कि अभियुक्त संख्या 1 व अन्य अभियुक्तगण की बातों में आकर उस समय कुछ परिवादीगण ने अभियुक्त संख्या 1 से अपना (XPO.RU) बनाकर निवेश किया वह राशि अभियुक्त संख्या 1 को दी गयी वह परिवादीगण के वॉलेट पर डालर में दिखायी देने लगी जो 30 माह निवेश की स्कीम अभियुक्त संख्या 1 ने बतायी उस राशि की अभियुक्त संख्या 1 ने इडेक्स बना दी तथा परिवादीगण को हर माह 8 से 12 प्रतिशत वॉलेट में प्रोफिट दिखने लगा इन सभी को देखकर अन्य परिवादीगण भी अपने अपने वॉलेट (XPO.RU) पर

Scanned with OKEN Scanner

बनाना शुरू करवा दिया और नेवश करना शुरू किया जो अब तक इस प्रकार रहा रामचन्द्र सैनी के स्वयं व परिजनो के करीब 6 लाख से अधिक, ओमप्रकाश कुभावत के स्वयं व परिजनो के 15 लाख रूपये से अधिक, मुकुल कुमावत के स्वयं व परिजनो के कुल 4,00,000/- रूपयें, कैलाश चौधरी के स्वयं व परिजनो के कुल 10,00,000/- रूपये से अधिक, मेवा राम चौधरी के स्वयं व परिजनो के 25,00,000/-रूपये से अधिक, दौलत पुत्र मोहन लाल के स्वंय व परिजनो के 15,00,000/- रूपयें से अधिक इस प्रकार कुल 75,00,000/- रूपयें का अभियुक्तगण ने परिवादीगण से फोड करके फरार हो गये। 5. यह कि परिवादीगण ने अपने अपने परिजनो व रिश्तेदारो को भी वॉलेट बनाकर लाखो रूपयो का निवेश अभियुक्तगण के कहने पर कर दिया था अभियुक्त संख्या 1 लगातार फुलेरा आकर बहुत सारे लोगो से निवेश करवाकर हजारो लोगो के लाखो रूपये निवेश करवाकर फरार हो गया। हजारो लोग उनके झांसे में निवेश करते चले गये तथा अभियुक्त संख्या 1 ता 8 लगातार विडियों कॉल मिटिंग से तथा सेमिनारो द्वारा निवेशको से जुड़ते रहे और (XPO.RU) में निवेश कर अच्छे प्रोफिट का लालच देकर निवेश करवाते रहै। 6. यह कि अभियुक्तगण ने संगठित षडयंत्र के तहत (XPO.RU) नामक ऑन लाईन प्लेट फार्म संचालित करते हुए क्रिप्टो/इन्डेक्स/फोरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर निवेश योजना बनाकर परिवादीगण सहित हजारो निवेशको से 8 से 12 प्रतिशत मासिक गारण्टी रिटर्न का झूठा आश्वासन देते हुए निवेश के लिए प्रेरित किया तथा अभियुक्तगण ने उक्त प्लेटफार्मों को विदेशी (रूस आधारित) वैद्य अन्र्तराष्ट्रीय कम्पनिया बताकर स्वयं को अधिकृत प्रतिनिधि प्रमोटर के रूप में अपने आपको प्रस्तुत किया जबकि अभियुक्तगण फर्जी कम्पनी के संचालक, नियंत्रक व लाभार्थी निवेशको को भ्रमित करते हुए कूटरचित एवं भ्रामक दस्तावेजो का उपयोग करते हुए परिवादीगण के साथ धोखाधडी कारित की है। 7. यह कि अभियुक्तगण ने नकद/ऑनल लाईन माध्यम से राशि प्राप्त कर (XPO.RU) प्लेट फार्म पर फर्जी डिजिटल बैलेंस प्रदर्शित किया तथा परिवादीगण को 8 से 12 प्रतिशत रिटर्न का झांसा दिया तथा निवेशको की राशि विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत लोक कर दी जाती थी और साप्ताहिक, दैनिक, मासिक लाभ डिजिटल डॉलर के रूप में बैलेंस दिखाया जाता था, जबकि वास्तविकता में कोई ट्रेडिंग गतिविधि का संचालन नही हो रहा था, बल्कि डिजिटल आभासी लाभ दिखाकर निवेशको को भ्रमित किया गया व वर्तमान में मूलधन व लाभ दोनो का भुगतान पूर्णतः बंद कर फरार हो गये जो दर्शा रहा है कि अभियुक्तगण शुरू से ही धोखाधडी कूटरचना कर लोगो से रूपये ऐंठने के लिए इस तरह का प्लेट फार्म का निर्माण कर परिवादीगण से सुनियोजित ठगी की है। 8. यह कि सभी परिवादीगण का लगभग 75 लाख रूपयें अपने व परिजनो के निवेश किया जिस राशि को लेकर अभियुक्तगण फरार हो गये और वर्तमान में सम्पर्क में नही है। 9. यह कि अभियुक्तगण ने बिना किसी भारतीय पंजीकरण अनुमति व वैद्य नियामकीय अनुपालन के अवैध रूप से धन संग्रह कर उन्हें क्रिप्टो के माध्यम से विदेशो में स्थानान्तरित किया है, जो गंभीर प्रकृति के अपराध की श्रेणी में आता है। 10. यह कि अभियुक्तगण परिवादीगण को अपने आपको वित्तीय निवेशको को सलाहकार के रूप में प्रस्तुत कर परिवादीगण से बडे स्तर पर निवेश करने हेतु प्रेरित किया तथा निवेश राशि की सुरक्षित व गारटी दी व परोक्ष रूप से परिवादीगण से राशि ऐठकर उस राशि को लेकर फरार हो गये, जिससे परिवादीगण के परिवार पर गंभीर आर्थिक संकट आ गया है परिवादीगण की जीवनभर की बचत समाप्त हो गयी, परिवादीगण मानसिक रूप से जीवन मजबुर हो रहे है। अभियुक्तगण का उक्त कृत्य धारा 61(2), 112(2), 316(2), 318(4) बी.एन.एस. एवं अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 की धारा 3, 5, 21, 23 व इनामी चिट फण्ड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी अधिनियम 1978) धारा 3 व 4 की श्रेणी में आता है। 11. यह कि उक्त घटना के संबंध में एक लिखित रिपोर्ट श्रीमान थानाधिकारी महोदय पुलिस थाना फुलेरा जिला जयपुर ग्रामीण को दिनांक 09.03.2026 को दी, लेकिन परिवादीगण की रिपोर्ट दर्ज नही की, तत्पश्चात एक लिखित रिपोर्ट श्रीमान पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण जयपुर एवं श्रीमान थानाधिकारी महोदय पुलिस थाना फुलेरा जिला जयुपर ग्रामीण को जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 09.03.2026 को प्रेषित की लेकिन उसके बाद भी परिवादीगण की रिपोर्ट दर्ज नही की और ना ही अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही की, इसलिए श्रीमान जी के समक्ष यह परिवाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। 12. यह कि परिवादीगण फुलेरा जिला जयपुर के निवासी है और उक्त स्थान पर ही अभियुक्तगण आकर परिवादीगण से पैसे निवेश करवाये गये है जो स्थान पुलिस थाना फुलेरा जिला जयपुर जयपुर के क्षेत्राधिकार में घटित होने के कारण श्रीमान न्यायालय को परिवाद पत्र सुनने व निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार विधि में प्राप्त है 13. यह कि परिवाद पत्र उचित न्याय शुल्क एवं अन्दर मियाद पेश हैं। अतः परिवादी की ओर से परिवाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि परिवादी का परिवाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर परिवाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 175(3) के तहत पुलिस थाना फुलेरा जिला जयपुर में भेजा जाकर एफ.आई.आर. दर्ज की जाकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के आदेश फरमाने की कृपा करे। जयपुर दिनांक 09/03/2026 परिवादीगण 1 मेवाराम चौधरी, 2 रामचन्द्र सैनी, 3 ओमप्रकाश कुमावत, 4 मुकुल कुमावत 5 कैलाश चौधरी 6 दौलत ------------------------ कार्यवाही पुलिस ------------------------------ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त इस्तगासा अन्तर्गत धारा 175(2) BNSS न्यायालय श्रीमान MJM सांभर से परिवादी श्री मेवाराम जाट S/O लादूराम जाट R/O बीड की ढाणी शार्दुलपुरा थाना फुलेरा जिला जयपुर एवं रामचन्द्र सेनी, ओमप्रकाश कुमावत, मुकुल कुमावत कैलाश चौधरी एवं दौलत का जरिये डाक वास्ते कायमी हेतु प्राप्त हुआ। मजमुन इस्तगासा से मामला अपराध धारा 316(2), 318(4), 61(2) BNS का पाया जाने पर तफ्तीश श्री कमलवीर ASI के जुम्मे की गई। इस्तगासा की नकल

Scanned with OKEN Scanner

CCTNS पोर्टल पर फीड कर मुकदमा नम्बर पृथक से देय होगा एवं प्रतिया FIR नियमानुसार जारी की जावेगी।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): Kamal Veer Meena Rank (पद): सहायकउप - निरीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rajendra Kumar Yadav
Location: Rajasthan,IN
Date: 02/04/2026 16:40:02

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Rajendra Kumar

Rank (पद): I (Inspector)

No(सं.):

Scanned with OKEN Scanner

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1						

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)

Scanned with OKEN Scanner